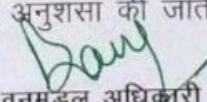


### प्रभावित वन क्षेत्र के व्यपवर्तन हेतु अनुशंसा प्रतिवेदन

सिवनी जिले में पायली ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत पाईप लाईन निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि 4.1187 हेक्टेयर भूमि विद्यमान पाईप लाईन निर्माण में प्रभावित हो रही है। और प्रस्तावित वन क्षेत्र चौड़ाई 01 मीटर लिया जाना प्रस्तावित है, जिसके व्यपवर्तन से वन/वन्य जीव प्रबंधन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, वन्य जीवों के रहवासों के विखण्डन की भी संभावना कम है, एवं प्रस्तावित पाईप लाईन की ऊंचाई जमीन स्तर से ज्यादा ऊंचाई न होने के कारण वन्य प्राणियों के आवागमन में कोई विशेष बाधा नहीं पहुंचेगी।

अतः उपरोक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र 4.1187 हेक्टेयर महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जबलपुर के पक्ष में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधि अनुरूप व्यपवर्तन किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

  
वनमंडल अधिकारी  
उत्तर सिवनी वनमंडल